पत्रांक–04 / HFA–10 / 2016 / न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक–

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 10 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹429.40 लाख (चार करोड़ उन्नतीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) Other than SC & ST घटक में सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटन की स्वीकृति।**

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक–17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

स्वीकृत्यादेश सं0–162 दिनांक–19.3.19 के आलोक में मंत्रालय के पत्रांक–N-11011/32/2018-HFA-III/HFA-V-UD(Comp. No. 9040332) दिनांक–13.11.2018 द्वारा राज्य के 10 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु Other than SC&ST घटक में विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹1288.20 लाख के अनुपातिक राज्यांश ₹429.40 लाख (चार करोड़ उन्नतीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 में आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निकासी की जाने वाली राशि का विवरण निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवासीय ईकाई	Other than SC & ST मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि	Other than SC & ST मद में विमुक्त की जाने वाली अनुपातिक राज्यांश की राशि
1	2	3	4	5
1	Banmanki Phase-IV	1937	58.20	19.40
2	Bhagalpur Phase-II	478	37.80	12.60
3	Dighwara Phase- II	744	0.00	0.00
4	Jhajha Phase- III	448	9.00	3.00
5	Mahua Phase- II	1474	63.00	21.00
6	Bakhri Phase- IV	698	220.20	73.40
7	Bikram Phase-III	329	119.40	39.80
8	Begusarai Phase- II	200	0.00	0.00
9	Kasba Phase-II	1586	661.20	220.40
10	Sahebganj Phase-II	260	119.40	39.80
	Total	**8154**	**1288.20**	**429.40**

2. स्वीकृत राशि ₹429.40 लाख (चार करोड़ उन्नतीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार संबंधित नगर निकायों को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, ज्ञापांक–7085 दिनांक–19.09.2018, पत्रांक–354 दिनांक–28.03.2018 एवं पत्रांक–1322 दिनांक–27.02.2019 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. स्वीकृत राशि ₹429.40 लाख (चार करोड़ उन्नतीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) में से माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 – छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051, निर्माण, उप शीर्ष–0303– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217030510303, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0303.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित अवशेष राशि ₹2328.38 लाख में से विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–378 दिनांक–16.01.2018 के आलोक में सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016 दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016 123 दिनांक–19/3/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.19
सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–04 / HFA–10 / 2016 /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एंव आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– **प्रधानमंत्री आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 10 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि ₹429.40 लाख (चार करोड़ उन्नतीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) Other than SC & ST घटक में सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 में निकासी की स्वीकृति।**

आदेश– **स्वीकृत।**

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "प्रधानमंत्री आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक–17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक–N-11011/32/2018-HFA-III/HFA-V-UD(Comp. No. 9040332) दिनांक–13.11.2018 द्वारा राज्य के 10 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु Other than SC&ST घटक में विमुक्त केन्द्रांश की राशि ₹1288.20 लाख के अनुपातिक राज्यांश ₹429.40 लाख (चार करोड़ उन्नतीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निकासी की जाने वाली राशि का विवरण निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवासीय ईकाई	Other than SC & ST मद में विमुक्त केन्द्रांश की राशि	Other than SC & ST मद में विमुक्त की जाने वाली अनुपातिक राज्यांश की राशि
1	2	3	4	5
1	Banmanki Phase-IV	1937	58.20	19.40
2	Bhagalpur Phase-II	478	37.80	12.60
3	Dighwara Phase- II	744	0.00	0.00
4	Jhajha Phase- III	448	9.00	3.00
5	Mahua Phase- II	1474	63.00	21.00
6	Bakhri Phase- IV	698	220.20	73.40
7	Bikram Phase-III	329	119.40	39.80
8	Begusarai Phase- II	200	0.00	0.00
9	Kasba Phase-II	1586	661.20	220.40
10	Sahebganj Phase-II	260	119.40	39.80
	Total	**8154**	**1288.20**	**429.40**

2. स्वीकृत राशि ₹429.40 लाख (चार करोड़ उन्नतीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार संबंधित नगर निकायों को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98, ज्ञापांक–7085 दिनांक–19.09.2018, पत्रांक–354 दिनांक–28.03.2018 एवं पत्रांक–1322 दिनांक–27.02.2019 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.–7355 वि (2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. स्वीकृत राशि ₹429.40 लाख (चार करोड़ उन्नतीस लाख चालीस हजार रू0 मात्र) में से माँग/विनियोग सं0–48, मुख्य शीर्ष–2217– शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष–03 – छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष–051, निर्माण, उप शीर्ष–0303– सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विपत्र कोड–48-2217030510303, पी0एफ0एम0एस0 कोड–1989, विषय शीर्ष 31–सहायता अनुदान–0303.31.05–सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण, अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में उपबंधित अवशेष राशि ₹2328.38 लाख में से विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–378 दिनांक–16.01.2018 के आलोक में सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्टरों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0–131/टि0 पर दिनांक–18.03.2019 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0–130/टि0 पर दिनांक–18.03.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016 दिनांक–

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–04/HFA–10/2016 – 162 दिनांक– 19.3.19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव–सह–उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/प्रशाखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा–2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/नगर आयुक्त/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर निकाय/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.03.19
सरकार के विशेष सचिव।

(15)